

प्रारूप क्रमांक-1

समितियों के पंजीयन हेतु ज्ञापन-पत्र

देखिये नियम - (3)

1. समिति का नाम होगा।
2. समिति का कार्यालय
तहसील
3. जिला में स्थित होगा।

समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:-

1. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु समूह के माध्यम से कार्य करना।
2. शासन की स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना एवं महिला सशक्तीकरण योजना से महिलाओं को जोड़ना।
3. महिलाओं, बच्चों को पोषण आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य रक्षा, परिवार कल्याण स्वच्छता हेतु जागृत करना।
4. समिति के प्रबंध विनियमों द्वारा समिति के कार्यों का प्रबंधन शासक परिषद, संचालकों सभा या शासी-निकाय को सौंपा गया है जिनके नाम, पते तथा उपजीविका का उल्लेख निम्नांकित है:-

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पद	पूरा पता	उपजीविका

समिति के इस ज्ञापन पत्र के साथ समिति के विनिमयों की एक प्रमाणित प्रति जैसे कि छ.ग. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 क्रमांक 44) की धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन अपेक्षित है संलग्न है।

हम अनेक व्यक्ति, जिसके नाम और पते नीचे लिखे हैं, समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन-पत्र के अनुसार करने के इच्छुक हैं तथा ज्ञापन-पत्र पर निम्नांकित साक्षियों के उपस्थिति में ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

क्र.	अभिदाताओं के नाम	पिता/पति का नाम	पूरा पता	हस्ताक्षर

जो अनावश्यक हो उसे काट दीजिए।

साक्षी

हस्ताक्षर

नाम

पूर्ण पता

.....

प्रति,

समितियों के रजिस्ट्रार,

.....

(1)

नियमावली

1. समिति का नाम होगा।
2. संस्था का कार्यालय
मोहल्ले का नाम
तहसील जिला छत्तीसगढ़ स्थित होगा।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र छत्तीसगढ़ स्थित होगा।
4. समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:-

(जो ज्ञापन में अंकित है वही लिखे)

1. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु समूह के माध्यम से कार्य करना।
2. शासन की स्वर्णजयन्ती स्वरोजगार योजना एवं महिला सशक्तिकरण योजना से महिलाओं को जोड़ना।
3. महिलाओं, बच्चों को पोषण आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य रक्षा, परिवार कल्याण स्वच्छता हेतु जागृत करना।
4. सदस्यता - संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे।

(अ) संरक्षण सदस्य - संस्था को दान के रूप में रुपये या अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।

(ब) आजीवन सदस्य - जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में रुपये या उससे अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य रुपये या उससे अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।

(स) साधारण सदस्य - जो व्यक्ति रुपये माह रुपये प्रतिवर्ष संस्था को चंदे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। केवल उसी अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिए वह चन्दा दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक देय चन्दा नहीं देगा। उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिए नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चन्दे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

(2)

(द) सम्माननीय सदस्य - संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उसे समय के लिए जो भी वह उचित समझे सम्माननीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परंतु उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा।

5. सदस्यता की प्राप्ति - प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा। जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।
6. सदस्यों की योग्यता - संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है:-
 1. आयु 18 वर्ष से कम न हो।
 2. भारतीय नागरिक हो।
 3. समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की है।
 4. सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।
7. सदस्यता की समाप्ति - संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जाएगी:-
 1. मृत्यु हो जाने पर।
 2. पागल हो जाने पर।
 3. संस्था को देय चन्दे की रकम नियम 5 में बताए अनुसार जमा न करने पर।
 4. त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर।
 5. चरित्र दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिए जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगा।
8. संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे:-
 1. प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय तथा तिथि सहित हस्ताक्षर।
 2. वह तारीख जिसमें सदस्यों का प्रवेश दिया गया हो व रसीद नम्बर।
 3. वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो।
 4. सदस्यों के हस्ताक्षर।

9. (अ) साधारण सभा - साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेंगी। परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। जिसका माह होगा। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 मह के अंदर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा, यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा।

(ब) प्रबंधकारिणी सभा - प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेन्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजा जाना आवश्यक होगी। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो वह बैठक एक घण्टे के लिए स्थगित कर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिए कोरम की कोई शर्त न होगी।

(स) विशेष:- यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजा जायेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देशित जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार रहेगा।

10. साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य:-

- (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
- (ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।
- (ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।
- (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।
- (ङ) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रकों स्वीकृत करना।
- (च) बजट का अनुमोदन करना।

(4)

11. प्रबंधकारिणी का गठन — ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे, नियम 5 अ.ब.स.) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजीयन रजिस्टर में दर्ज हो, बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

1. अध्यक्ष।

2. उपाध्यक्ष।

3. सचिव।

4. कोषाध्यक्ष।

5. संयुक्त सचिव एवं सदस्य-2 ।

12. प्रबंध समिति का कार्यालय — प्रबंध समिति का कार्यालय तीन वर्ष होगा समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक की नई कार्यकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी। किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी। जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

13. प्रबंधकारिणी के अधिकार एवं कर्तव्य:-

- (अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।
- (ब) पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना होगा।
- (स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल-अचल संपत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।
- (द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।
- (इ) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए।
- (च) संस्था की समस्त चल-अचल संपत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेंगी।
- (छ) संस्था द्वारा कोई भी यथावर संपत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आन्तरित नहीं कर सकते।

14. अध्यक्ष के अधिकार — अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।
15. उपाध्यक्ष के अधिकार — अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।
16. सचिव (मंत्री) के अधिकार:-
 1. साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना।
 2. समिति का आय-व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।
 3. समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।
 4. सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रुपये करने का अधिकार होगा।
17. स. सचिव के अधिकार — सचिव की अनुपस्थिति में स. सचिव कार्य करेंगे।
18. कोषाध्यक्ष के अधिकार — समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।
19. बैंक खाता — संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रुपये रहेंगे।
20. पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी — अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक ग्राम सभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची शुल्क सहित फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत प्रति वर्ष 31 जुलाई तक संस्था की परीक्षित लेखा शुल्क सहित भेजेगी। जिसके साथ नियत शुल्क देय होगा।

21. संशोधन — संस्था के विधान में संशोधन सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा। संस्था के विधान में संशोधन हेतु प्रस्ताव नियत शुल्क के साथ प्रस्तुत की जायेगी जिसके साथ नियत शुल्क देय होगा।
22. विघटन — संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल संपत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जायेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।
23. सम्पत्ति — संस्था की समस्त चल तथा अचल संपत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल संपत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नहीं की जा सकेगी एवं उक्त हेतु नियत शुल्क संस्था द्वारा जमा की जायेगी जिसके साथ नियत शुल्क देय होगा।
24. बैंक खाता — संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में डाला जावेगा एवं समय-समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी।
25. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना — संस्था की पंजीयक नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक ना बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।
26. विवाद — संस्था में किसी प्रकार का विवाद होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों में संतोष न हो तो व रजिस्ट्रार की और विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंधन समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।